दिनांक 04.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 415/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पुलिस से छीनी गई 01 पिस्टल आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2026 को थाना पिलखुवा, थाना धौलाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इस्तेकार उर्फ इस्तकार को घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पुलिस से छीनी गई 01 पिस्टल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो गिरफ्तारी के उपरान्त पेट दर्द का बहाना बनाकर अस्पताल ले जाते समय पुलिस से पिस्टल छीन कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर भागने की कोशिश की गई थी, पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जबाबी फायरिंग में बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, अमरोहा, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में लूट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इस्तेकार उर्फ इस्तकार निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा, हालपता जे ब्लाक गली नं0–2 थाना सीलमपुर दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–पुलिस से छीनी गई 01 पिस्टल आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 04 बटिया चाँदी (04 किलोग्राम)**
- **लूट के 15 हजार 20 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.08.2026 को थाना लंका, थाना चौक व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लौटूबीर पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मो0अली उर्फ शाबिर हसन 2–माशाअल्लाह घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 04 बटिया चाँदी (04 किलोग्राम), लूट के 15 हजार 20 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.07.2026 को थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चौक पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद चाँदी, रूपये आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0अली उर्फ शाबिर हसन के विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी, जयपुर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0अली उर्फ शाबिर हसन निवासी रायसेन हाल ईरानी बस्ती अमन कॉलोनी करोध थाना निशादपुरा जनपद भोपाल मध्यप्रदेश, हालपता इदबारा थाना कोतवाली पिपारिया हुशांगाबाद मध्यप्रदेश।

2–माशाअल्लाह निवासी पिपारिया थाना पंचमढी रोड जनपद नर्मदापुरम मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लूट की 04 बटिया चाँदी (04 किलोग्राम)।

2–लूट के 15 हजार 20 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की लगभग 07 लाख रूपये (कीमत) की पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 04.08.2026 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुकन्दगढी वाले रास्ते से 04 अभियुक्तों 1–शाहे आलम उर्फ बब्लू 2–फैजान 3–इरशाद 4–अनस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 07 लाख रूपये (कीमत) की पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहे आलम उर्फ बब्लू निवासी ग्राम बटोला थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर हाल निवासी गणेशपुर थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।

2–फैजान निवासी मोहल्ला बुर्ज काठ कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

3–इरशाद निवासी मोहल्ला व्यापारियान कस्बा व थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

4–अनस निवासी मोहल्ला बारादरी कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की लगभग 07 लाख रूपये (कीमत) की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जालौन/थाना को0उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना को0उरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 20 वर्ष के कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कल्लू उर्फ मकसूद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————